न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, हाल– पाली

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

धनाराम पुत्र श्री हकमाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड पुराना जोगापुरा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 29/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 05 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा दिनांक 25–11–2024 को मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड़ पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) का नमूना संख्या S-2536, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1807/Act/2024/1852 दिनांक 10–12–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप गुणावगुण निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 25–11–2024 को 01–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये, वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी धनाराम पुत्र हकमाराम जी देवासी, निवासी हाल– बस स्टेण्ड पुराना जोगापुरा उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड़ पुराना जोगापुरा के निरीक्षण के दौरान मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट की दुकान में खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के 22 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी को गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड़ पुराना

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

जोगापुरा में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के 22 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के 4 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 480/– (रुपये चार सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता धनाराम को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2536, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूने को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेट/भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने दिनांक 28–11–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25–11–2024 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड़ पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम से खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के 200–200 एम.एल. के पैक पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) के नमूना संख्या S-2536 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1807/Act/2024/1852 दिनांक 10–12–2024 में खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता धनाराम पुत्र हकमाराम देवासी ने अमानक

.....पेज तीन पर

पीठा. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

(Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (ब्राण्ड NTC सरस गोल्ड) (नमूना संख्या S-2536) के विक्रय हेतु प्रतिवादी धनाराम पुत्र श्री हकमाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,00,000/– (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी धनाराम पुत्र श्री हकमाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स जय बालाजी सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)